फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

शिवपाल बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 39 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/22	रिपोर्ट वारिस्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस बिना रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 31.5.22 को पेश हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
31.5.22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि रेस्पो० सं 2 कि ओर से एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार खण्डेला के समक्ष पेश किया। जिसमें एक खं० न० 2116/2 वन ग्राम चौकड़ी का पेश किया। मुताबिक आवेदन के शुल्क भी एक खं० न० का ही जमा कराया है। जबकि सीमाज्ञान भूमि खं० न० 2115/2, 2115/1, 2116/2, 2115/3 व 2116/1, कुल किता 5 नम्बरान का किया गया है। जो गलत किया गया है। सीमाज्ञान के आवेदन में खं० न० 2116/2 अंकित किया है। जिसकी किस्म गै.मु. काबड़ी है। सीमाज्ञान बाबत हमें कोई सूचना नहीं दी गई। ना ही हमें सुना गया। अत: निवेदन है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25-4-22 को अपास्त किया जावे एवं पुन: नियमानुसार सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश प्रदान करें। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वकील अपीलान्ट कि एक पक्षीय दलील सुन कर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि सीमाज्ञान से पूर्व पक्षकारो को कोई सूचना नही दी गई एवं ना ही उक्त सूचना बाबत कोई नोटिस दिया गया जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है। सीमाज्ञान जो किया गया उसका कोई नजरी नक्शा भी नही बनाया गया है एवं ना ही जरीब चलाई गई है। जो यह बिन्दू रिपोर्ट से स्पष्टया साबित है। इससे यह प्रतीत होता है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट इस आधार से अपूर्ण है। सीमाज्ञान रिपोर्ट व सीमाज्ञान बाबत प्रस्तुत किया गया आवेदन के अवलोकन से पाया गया कि आवेदन में केवल एक ही ख० न० 2116/2 अंकित किया गया है जबकि मौका फर्द अनुसार अन्य ख० न० को भी अनावश्यक शामिल किया गया है। जो नियमानुसार गलत है। जबकि शुल्क एक ख० न० का ही जमा करवाया गया है।

सीमाज्ञान प्रपत्र में सीमाज्ञान से पूर्व पटवारी हल्का कि जो रिपोर्ट ली गई है उसमे कही भी विवाद का जिक्र नही किया हुआ है जो रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। जहाँ तक पुलिस इमदाद की आवश्यकता मौके पर है या नही जो पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से मालुम होता है। पुलिस इमदाद का जिक्र पटवारी रिपोर्ट में नही होने के बाद भी तहसीलदार खण्डेला द्वारा जो आदेश दिया गया उसमें लिखा गया। इन समस्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जो सीमाज्ञान किया गया है इसलिए उक्त सीमाज्ञान अपूर्ण है। इन सभी तथ्यों [illegible]धार पर अपील मे अंकित [illegible] है। इसलिए सीमाज्ञान [illegible] दिनांक 25-4-22 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
(सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

छिगनपाल बनाम तहसीलदार

मुकदमा अपील नम्बर 39 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील तथ्यों के आधार पर अपील एडमिन स्टेज पर ही स्वीकार कर निस्तारित की जाती है। तथा तहसीलदार खण्डेला का आदेश दिनांक 22.4.2022 एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25-4-2022 दोनो अपास्त किये जाते हैं। तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार प्रार्थना पत्र लेकर सीमाज्ञान हेतु तिथि नियत करे एवं उसकी सूचना जरिये नोटिस उभय पक्षों को दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जावे। पत्रावली फैसलानुसार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner